न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3914/2003/करौली

1. फतेहराम पुत्र शिवलाल
2. सिरदारी पुत्र सोन्या
3. पांच्या पुत्र सोन्या
4. रामजीलाल पुत्र पांच्या
5. रामस्वरूप पुत्र ग्यारसा
6. धन्नीराम पुत्र शिवलाल

समस्त जाति जोगी निवासी बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डौन
2. राजकीय प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बाजना खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री हेमन्त सोगानी, अपीलार्थीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.02.2019

द्वारा श्री मोहन लाल नेहरा–

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–07–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थी सरकार के विरूद्ध एक वाद बाबत् दुरूस्ती सीट, इश्तकरार हक का प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 569/3 रकबा 134बीघा 01बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह , जिसका नया खसरा नम्बर 1048 रकबा 19हैक्टयर 79ऐयर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 20 ऐयर, गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 1033 रकबा 16ऐयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 53ऐयर गैर मुमकिन आबादी बने है। वादीगण की उपरोक्त तीन खसरा नम्बरान की जमीन के पट्टे पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 14-09-1980 को दिये गये एवं इसी प्रकार सीट में तरमीम कर दी गयी थी। मौके पर तीन खसरा नम्बरान पर आबादी के मकान बने हुए है। दिनांक 5-2-1983 को आराजी खसरा नम्बर 569/3 में से 03बीघा जमीन राजकीय उच्च प्राथमिक शाला बाजना खुर्द के खेल मैदान के लिए आवंटित कर दी तथा मौके पवर स्कूल का कब्जा भी करवा दिया गया, जो इस आराजी के दक्षिणी छोर पर है। आज भी स्कूल का कब्जा उसी स्थान पर है, जो निर्विवाद है। सेटलमैन्ट विभाग ने गलती से सीट में आबादी के स्थान पर स्कूल की जमीन दर्ज कर दी तथा स्कूल की जमीन के स्थान पर आबादी दर्ज कर दी। इसलिए सीट में दुरूस्ती कराना न्यायसंगत है। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1032, 1033 व 1038 गैर मुमकिन स्कूल बाजना खुर्द के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जावे तथा स्कूल का क्षेत्र आराजी खसरा नम्बर 1109 को दर्ज किया जाकर सीट दुरूस्ती की जाकर समस्त रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-09-2002 से

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 19-07-2003 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादीगण अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में मात्र यह अनुतोष चाहा कि प्रत्यर्थी संख्या-2 को खेल मैदान हेतु जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जो भूमि आवंटित की गयी है, उसी स्थान पर उक्त भूमि को नक्शे में तरमीम काटकर दर्शाया जावे। वास्तविक स्थान हो छोडकर अन्य स्थान पर उक्त आवंटित भूमि को दर्शा दिये जाने की कार्यवाही को अवैध घोषित करते हुए निरस्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा, जिसमें वादीगण ने विवादित आराजी के अधिकारों बाबत् घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा किन्तु दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि वादीगण ने अपने वादपत्र में स्कूल को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश, आदेश के साथ संलग्न नक्शे में दर्शित भूमि की सीमाएं स्पष्टतः अंकित की थी, जिससे प्रतिवादी ने कभी इन्कार नहीं किया। ऐसी स्थिति में राजस्व भू-अभिलेखें में वास्तविक स्थिति दर्शाये जाने हेतु युक्तियुक्त निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होने के बावजूद भी

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वादीगण के दावे एवं अपील को निरस्त करने में विधिक भूल की है। उनका कथन है कि हाल बन्दोबस्त में आराजी खसरा नम्बर 1032, 1033 व 1038 रजास्व अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी के रूप में दर्ज है। गैर मुमकिन आबादी के मध्य की कोई भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित नहीं की जा सकती थी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जावे।

5. योग्य उपराजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी चारागाह भूमि होने से ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि जिला कलक्टर के आदेश से विवादित आराजी में से 03बीघा भूमि खेल मैदान हेतु आवंटित की गयी। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् समवर्ती निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी के न्यायालय में प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध एक वाद बाबत् दुरूस्ती सीट,

इश्तकरार हक का प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 569/3 रकबा 134बीघा 01बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह , जसका नाया खसरा नम्बर 1048 रकबा 19हैक्टयर 79ऐयर, खसरा नम्बर 1032 रकबा 20 ऐयर, गैर मुमकिन आबादी खसरा नम्बर 1033 रकबा 16ऐयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 53ऐयर गैर मुमकिन आबादी बने है। वादीगण की उपरोक्त तीन खसरा नम्बरान की जमीन के पट्टे पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 14–09–1980 को दिये गये एवं इसी प्रकार सीट में तरमीम कर दी गयी थी। मौके पर तीन खसरा नम्बरान पर आबादी के मकान बने हुए है। दिनांक 5–2–1983 को आराजी खसरा नम्ब्र 569/3 में से 03बीघा जमीन राजकीय उच्च प्राथमिक शाला बाजना खुर्द के खेल मैदान के लिए आवंटित कर दी तथा मौके पर स्कूल का कब्जा भी करवा दिया गया, जो इस आराजी के दक्षिणी छोर पर है। सेटलमैन्ट विभाग ने गलती से सीट में आबादी के स्थान पर स्कूल की जमीन दर्ज कर दी तथा स्कूल की जमीन के स्थान पर आबादी दर्ज कर दी। अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1032, 1033 व 1038 गैर मुमकिन स्कूल बाजना खुर्द के स्थान पर गैर मुमकिन आबादी दर्ज की जावे तथा स्कूल का क्षेत्र आराजी खसरा नम्बर 1109 को दर्ज किया जाकर सीट दुरूस्ती की जाकर समस्त रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को चारागाह भूमि होना मानते हुए तथा ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने का अधिकार नहीं होना मानकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को उक्त आधार पर खारिज कर दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 14–03–1986 से ग्राम बाजना खुर्द के खसरा नम्बर 569/3 रकबा

134बीघा 01बिस्वा में से 03बीघा भूमि चारागाह से आबादी में आरक्षित कर आदेश दिनांक 17–3–1983 से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बाजवा कलां को आवंटित की गयी। वादपत्र में अंकित अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 569/3 रकबा 134बीघा 01बिस्वा गैर मुमकिन चारागाह है। जहां तक अपीलार्थीगण के कथनानुसार स्कूल को आवंटित रकबे को नक्शा ट्रेस में गलत स्थान पर दर्शाये जाने का प्रश्न है, खसरा नम्बर 569/3 का रकबा चारागाह भूमि होने एवं ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि पर पट्टे जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं होने से साबिक आराजी खसरा नम्बर 569/3 के नवीन खसरा नम्बर 1032, 1033 व 1038 को आबादी में दर्ज किये जाने का अनुतोष वादीगण वादपत्र के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते है। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19-07-2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30-09-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य